संख्याः 32/2016-312/नौ-5-2016-59बजट/2012

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक/एस.एल.एन.ए.,
नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 03 मार्च, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत जनपद झाँसी की नगर पालिका परिषद, बरूआसागर पेयजल पुनर्गठन परियोजना की मूल स्वीकृत लागत के सापेक्ष लागत वृद्धि की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी0एम0यू0/1244/52(11)/2016, दिनांक 06.01.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत जनपद झांसी की **बरूआसागर पेयजल पुनर्गठन परियोजना** की पुनरीक्षित लागत रू0 804.66 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-4574/नौ-5-14-59बजट/2012, दिनांक 13 नवम्बर, 2014 द्वारा प्रदान की गयी है। परियोजना की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत रू0 718.62 लाख एवं पुनरीक्षित लागत के फलस्वरूप लागत वृद्धि की धनराशि **रू0 86.04 लाख (रू0 छियासी लाख चार हजार मात्र)** को वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित शर्तो/उपबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	परियोजना का नाम	भा/स द्वारा अनुमोदित लागत/पुनरीक्षित लागत	पुनरीक्षित लागत के फलस्वरूप परियोजना की लागत में वृद्धि	पुनरीक्षित लागत में सेन्टेज की धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जनपद झाँसी की नगर पालिका परिषद, बरूआसागर की पेयजल पुनर्गठन परियोजना	718.62/ 804.66	86.04	85.88	86.04

(रू0 छियासी लाख चार हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर परियोजना हेतु स्वीकृत सेन्टेज की धनराशि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी तथा अवशेष धनराशि स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) के खाते में रखी जायेगी एवं यथाप्रक्रिया व्यय किया जायेगा।

(2) प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज) की दर के सन्दर्भ में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 एवं बढ़ी हुई लागत के संदर्भ में निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि का व्यय यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना के संबंध में सेन्टेज की धनराशि पूर्व में आहरित न की गयी हो।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, स्थानीय निकाय/एसएलएनए तथा कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/ उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

3- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत मद में स्वीकृत उक्त धनराशि का व्यय ***"लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउनस (के.80/रा.10-के.रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या-32/2016-312(1)/नौ-5-2016-59बजट/2012, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, झांसी।
3- जिलाधिकारी, झांसी।
4- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बरूआसागर-झॉसी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/4
8- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9- कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।